/97564/2023

/97564/2023

उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग–2

ई पत्रावली संख्या–2033/2023

HOUS2-MS/1/7/2020-V-2-Aawas Dept

देहरादून, दिनांकः 09 फरवरी, 2023

अधिसूचना

चूंकि, राज्य सरकार नैनीताल महायोजना–2011 में संशोधन, जैसा कि नीचे दी गयी अनुसूची में वर्णित है, करना चाहती है। दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला तथा उत्तर उजाला के दिनांकः 10.12.2022 के संस्करण में विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में आम जनता से आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त किए गये। महायोजना संशोधन के संबंध में निर्धारित समयान्तर्गत कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

2– अतः, उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोज़न तथा विकास अधिनियम, 1973 (समय–समय यथा संशोधित) की धारा–13 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, श्री राज्यपाल नैनीताल महायोजना–2011 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

अनुसूची

क्र. सं.	स्थल/ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वर्तमान भू–उपयोग	संशोधित भू–उपयोग
1	हारमौनी हॉल कम्पाउण्ड, मल्लीताल, नैनीताल।	2582 वर्गफीट अर्थात 239.96 वर्गमीटर	होटल लॉजेज	आवासीय

Signed by Rajendra Singh Patiyal
Date: 08-02-2023 16:07:07

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
संयुक्त सचिव

E.E / AE. Nimi

J.CA

प्रतिलिपिः– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग–4 के संबंधित खण्ड में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा 10 प्रतियाँ शासन को एवं 5–5 प्रतियाँ नीचे अंकित क्रमांक–1, 2 एवं 3 में उल्लिखित अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण
पत्र क्रमांक सं० 2418
दि० 10/02/2023
देहरादून

(चिरंजी लाल)
अनु सचिव।

/564/2023

/564/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1—उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।

2—संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।

3—मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।

4—गार्ड फाईल।